<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।</u>

उपस्थितः-उत्कर्ष चतुर्वेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code No UP 1882

कम्प्यूट्रीकृत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-81/2025

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-80/2025

UPBP010026162025

बसन्ती पत्नी नानबाबू निवासिनी ग्राम पिपरी मशमूले लौकी खुर्द, थाना-कोतवाली जरवा, परगना, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर

..... पुनरीक्षणकत्री।

प्रति

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी०जी०सी० (दाण्डिक) बलरामपुर
2. प्रेमलता पत्नी कमलेश प्रसाद
3. कमलेश प्रसाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद
   निवासीगण ग्राम पिपरी मशमूले लौकी खुर्द, थाना-कोतवाली जरवा, परगना तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर
4. सोहनलाल पुत्र सूर्यलाल
5. शोभावती उर्फ रीना देवी वर्तमान नाम परमादेवी पूर्व पति स्व० हरिराम वर्तमान पति सोहनलाल
   निवासीगण ग्राम-होमपुर मशमूले गनेशपुर, थाना-हर्रैया, परगना, तहसील व जनपद-बलरामपुर

.....विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय बलरामपुर द्वारा परिवाद संख्या-290/2024, बसन्ती बनाम प्रेमलता आदि, थाना-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर में पारित आदेश दिनांकित 29.08.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

2. हस्तगत दाण्डिक पुनरीक्षण की उत्पत्ति निम्नलिखित तथ्यों के अधीन हुई हैः- परिवादिनी बसन्ती द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर में परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी के स्व० भाई हरीराम व परिवादिनी की माता स्व० श्रीमती फूलमती भूमि गाटा संख्या 344 रकबा 0.470 हे० व गाटा संख्या 508 रकबा 0.243 हे० स्थित ग्राम लौकी खुर्द परगना तहसील तुलसीपुर जिला बलरामपुर के संयुक्त खातेदार भूमिधर थे। परिवादिनी के स्व० भाई हरीराम की मृत्यु के बाद हरीराम की पत्नी शोभावती उर्फ रीना देवी बतौर वारिस मालिक हुई और कागजात में इन्द्राज हुई। परिवादिनी के हक में स्व० माता श्रीमती फूलमती ने पंजीकृत वसीयतनामा जीवन काल में कर दिया। परिवादिनी के स्व० भाई हरिराम की पत्नी विपक्षी संख्या 4 ने अपना नाम बदलकर जिसमें पूरी तरह साजिश विपक्षी (कमलेश प्रसाद) की प्रारम्भ से रही। वसीयतनामा परमादेवी रखकर विपक्षी (सोहनलाल) से विवाह (सगाई) कर लिया परन्तु ग्राम लौकी खुर्द तहसील तुलसीपुर खतौनी में भूमि स्थित ग्राम लौकी खुर्द में शोभा देवी व भूमि स्थित ग्राम पिपरा दुर्गानगर में रीना देवी नाम दर्ज रह गया, जबकि पति के मरणोपरान्त शोभा देवी उर्फ रीना देवी वरासत अधिकार से वंचित हो चुकी थी, केवल इन्द्राज खतौनी में रह गया था। इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाते हुए विपक्षीगण प्रेमलता एवं कमलेश प्रसाद की पूरी साजिश एवं

Digitally signed by UTKARSH CHATURVEDI
Date: 2026.07.18 16:59:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मिली भगत से वृहद पैमाने पर धोखाधड़ी-जालसाजी कर मात्र 20,000/- रूपये प्रश्नगत बैनामा में दिखाकर रॉगफुल गेन करते हुए जमीन का कूटरचित बैनामा दिनांक 20.11.2023 को कराया है। परिवादिनी विपक्षी शोभावती उर्फ रीना देवी द्वारा सगाई रिमैरेज करने की दशा में कूटरचित बैनामा से सम्बन्धित भूमि की मालिक है और परिवादिनी का रॉगफुल लॉस है। परिवादिनी ने कूटरचना धोखाधड़ी के बाबत सूचना थाना पर दिया। पुलिस लगातार 6-7 माह से लगातार एफ०आई०आर० दर्ज करने का आश्वासन पर आश्वासन दे रही है परन्तु 18.07.2024 को इंकार कर दिया। तब परिवादिनी ने दिनांक 19.07.2024 को प्रार्थनापत्र एस०पी०, बलरामपुर को जरिये डाक प्रेषित किया। पुलिस स्तर पर कार्यवाही न होने की दशा में उसने न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थनापत्र पर विपक्षीगण प्रेमलता एवं कमलेश प्रसाद की ओर से लिखित आपत्ति दिनांकित 12.09.2024 प्रस्तुत की गई।

3. परिवादिनी की ओर से परिवाद दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्षीगण पी०डब्लू० 01 नानबाबू एवं पी०डब्लू० 02 सोमई के बयान धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अंकित किए। तत्पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त आदेश दिनांकित 29.08.2025 द्वारा परिवादिनी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० के अधीन निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकत्री की ओर से यह पुनरीक्षण योजित किया गया है।

4. पुनरीक्षणकत्री/परिवादिनी की ओर से पुनरीक्षण में यह आधार लिए गए हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं तथ्यों तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 के द्वारा वृहत पैमाने पर किये गये धोखाधड़ी जालसाजी के बिन्दु पर गौर नहीं किया और गम्भीर दस्तावेजी कूटरचना को मात्र सिविल विवाद मानकर प्रश्नगत आदेश पारित करने में कानूनी गलती किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जॉच के स्तर पर जितने भी साक्ष्य उपलब्ध हुए व बयानात दर्ज कराये गये तथा स्वयं विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन का सही ढंग से मूल्यांकन व अवलोकन नहीं किया और मामले की गम्भीरता पर गौर नहीं किया और सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए परिवादपत्र को निरस्त कर दिया। उक्त परिवाद में विपक्षी संख्या 4 व 5 क्रमशः सोहनलाल व शोभावती ने नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2024 को न्यायालय उपस्थित होकर अपना लिखित कथन एवं स्पष्टीकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 5 ने उक्त परिवाद से संबंधित सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी एवं अधिकारवान स्व० हरिराम के मरणोपरान्त विपक्षी संख्या 5 ने सोहनलाल विपक्षी संख्या 4 से विवाह कर लिया। उक्त विपक्षी संख्या 5 ने यह भी कथन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने बरगलाकर बहला फुसलाकर बगैर प्रतिफल दिये अवैध रूप से प्रश्नगत दस्तावेज बैनामा का पंजीकरण कराया है और राजस्व अभिलेखों में गलती से विपक्षी संख्या 5 का नाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या 2 ने अपनी पत्नी के नाम से बैनामा कराया है। उल्लेखनीय है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए अन्य प्रस्तावित अभियुक्त/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का उल्लेख तो किया है परन्तु विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा लिखित कथन कागज संख्या 8क जो ऑन रिकार्ड है का अवलोकन एवं परिशीलन तक नहीं किया है और इस महत्वपूर्ण पेपर का कोई भी हवाला न देकर प्रश्नगत आदेश पारित करने में गलती की है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में की गयी टिप्पणी कि प्रस्तुत वाद में परिवादिनी द्वारा

कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत बैनामा फर्जी है। उक्त टिप्पणी के संबंध में विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन कागज संख्या 8क जो कि इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है धोखा धड़ी एवं जालसाजी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य तलबी के स्तर पर पर्याप्त आधार है। इस पर भी विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गौर नहीं किया है। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 ने एक सुनियोजित ढंग से उस विधवा महिला से जिसमे पुनर्विवाह कर लिया था और पुनर्विवाह करने की दशा में कानूनन विधि द्वारा स्थापित नियमों के तहत उक्त विपक्षी संख्या 5 किसी भी तरह स्वत्वाधिकारी भूमि की नहीं रह गयी थी मात्र अभिलेख खतौनी में नाम बरकरार रहने का अनुचित लाभ उठाकर एक गृहणी, अनपढ़, गवार महिला को बेवकूफ बनाकर सम्पत्ति हड़पने की नियत से ऐसा आपराधिक कृत किया गया है। उक्त अपराध कोई मामूली त्रुटि या भूल का नहीं है इसे सिविल प्रक्रिया से सुलझाया जाये। यह एक जालसाजी एवं धोखाधड़ी, कूटरचना का मामला भू-माफिया द्वारा किया गया गम्भीर आपराधिक कृत है। अतः विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.08.2025 को अपास्त करते हुए विधिनुसार आदेश पारित किया जाय।

5. पुनरीक्षणकत्री/परिवादिनी की ओर से सूची के माध्यम से साक्षीगण पी०डब्लू० 01 नानबाबू एवं पी०डब्लू० 02 सोमई के बयान अन्तर्गत धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आक्षेपित आदेश दिनांकित 29.08.2025 की सत्य प्रतिलिपि, विपक्षीगण द्वारा दाखिल लिखित कथन एवं स्पष्टीकरण की सत्यप्रतिलिपि एवं परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दाखिल की गई है।

6. विपक्षी संख्या-1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई तात्विक अनियमितता, अवैधानिकता एवं विधि विरूद्धता नहीं है, बल्कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का सही उपयोग करते हुए विधिनुसार आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतएव पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

7. पुनरीक्षणकत्री के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं विपक्षी संख्या-2 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आक्षेपित आदेश सहित पत्रावली एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

8. हस्तगत प्रकरण में पुनरीक्षणकत्री/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्रों में मौलिक कथन यह किया गया है कि उसकी मां फूलमती व उसके स्व० भाई हरीराम गाटा संख्या 344 रकबा 0.470 हे० व गाटा संख्या 508 रकबा 0.243 हे० स्थित ग्राम लौकी खुर्द परगना तहसील तुलसीपुर जिला बलरामपुर में संयुक्त खातेदार भूमिधर थे। परिवादिनी की मां फूलमती ने उसके पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा अपने जीवनकाल में कर दिया था। परिवादिनी के भाई स्व० हरीराम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी शोभावती उर्फ रीना देवी बतौर वारिस मालिक व कागजात में इन्द्राज थी। परिवादिनी की भाभी जो परिवाद में विपक्षी संख्या 4 है, ने साजिश करके विपक्षी संख्या 2 के साथ धोखाधड़ी करके प्रश्नगत भूमि का बैनामा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में करा लिया। विपक्षी संख्या 4 शोभा देवी ने आधारकार्ड में अपना नाम परमा देवी कराकर सोहनलाल से दूसरी शादी कर ली। पत्रावली पर जो अभिलेख उपलब्ध है उनसे यह तथ्य प्रकट होता है कि विपक्षी संख्या 4 शोभा देवी बेवा हरिराम द्वारा श्रीमती प्रेमलता पत्नी कमलेश प्रसाद के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का पंजीकृत बैनामा दिनांकित 20.11.2023 को किया

गया है। परिवादिनी की ओर से स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वह स्व० हरिराम की बहन है और राजस्व अभिलेख में उसका नाम इन्द्राज है। पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस जांच आख्या यद्यपि इस स्तर पर पठनीय नहीं है परन्तु उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शोभा देवी व स्व० हरीराम यादव के जड़ से एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम कुमारी शीला पुत्री स्व० हरीराम था तथा हरीराम के मरणोपरान्त जब शोभा देवी ने दूसरी शादी सोहनलाल पुत्र सुरज लाल निवासी ग्राम होमपुर थाना हर्रेया जनपद बदलामपुर से कर ली है तथा अपनी पूर्व की लड़की कु० शीला के साथ सोहनलाल के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। आख्या में यह भी तथ्य उल्लिखित है कि पूर्व की लड़की शीला की शादी अनिल यादव निवासी ग्राम बनकसिया थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के साथ कर दी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकत्री द्वारा अपने परिवाद में न तो अपने भाई हरीराम की मृत्यु की तिथि का कोई कथन किया गया है और न ही अपनी भाभी शोभा देवी के पुनर्विवाह के तिथि के विषय में कोई कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षणकत्री द्वारा अपने परिवाद में हरीराम व शोभा देवी के संसर्ग से उत्पन्न हुई किसी संतान के विषय में कोई कथन नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि पुनरीक्षणकत्री मृतक के वैध उत्तराधिकारियों को अपवर्जित करते हुए उत्तराधिकार के क्रम में स्वयं अधिमान्य उत्तराधिकारी है। पुनरीक्षणकत्री की ओर से बैनामा मंसूखी का एक वाद शोभा देवी आदि के विरूद्ध सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में जो विवाद है वह प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के संबंध में है जिसके विनिश्चय का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मो0 इब्राहिम एवं अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार एवं एक अन्य {2010(1) जे०आई०सी० 133 (एस०सी०)} सुप्रीम कोर्ट** में यह अवधारित किया है कि:-

"This Court has time and again drawn attention to the growing tendency of complaints attempting to give the cloak of a criminal offence to matters which are essentially and purely civil in nature, obviously either to apply pressure on the accused, or out of enmity towards the accused, or to subject the accused to harassment. Criminal courts should ensure that proceedings before it are not used for settling scores or to pressurize parties to settle civil disputes."

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **इन्द्र मोह गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य, अपील संख्या (क्रि०) 1392/2007**, निर्णय दिनांकित 09.10.2007 के मामले में यह अवधारित किया है कि जहां पर पक्षकारों के मध्य विवाद मुख्यतः सिविल प्रकृति का हो वहां आपराधिक प्रक्रिया की शुरूआत किया जाना आपराधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग माना जाएगा।

11. उपरोक्त निर्णयज विधियों में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचार किये जाने से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण की मौलिक प्रकृति सिविल मामले की है।

12. उपरोक्त परिस्थितियों विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है इस न्यायालय के विचार में उसमे कोई नियम प्रतिकूलता या विधि विरूद्धता नहीं है। अतएव इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार विद्यमान नहीं है। तद्नुसार हस्तगत पुनरीक्षण बलहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय/आदेश की प्रति सहित अविलम्ब मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस की जाये।

दिनांकः-17.07.2026

(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।
ID N0: UP 1882

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः- 17.07.2026

(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।
ID N0: UP 1882